न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	15/24	2024/29	13.03.2024	सरकार बनाम कमलेश	23.04.2026	1लगायत 3

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 15/2024 (2024/29)

उनवान प्रकरण

1. वीरेन्द्र कुमार सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर।

आवेदक

बनाम

1. श्री कमलेश सैनी पुत्र श्री गोविन्द सैनी (विक्रेता) मैसर्स कृष्णा मिष्ठान भण्डार, ईदगाह मोड़ गंगापुर सिटी निवासी मालियों की ढाणी ,ईदगाह मोड़ मिर्जापुर गंगापुर सिटी। अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii)/51 & (2)(v)54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहा अभियान (शुद्ध के लिये युद्ध) के तहत दिनांक 05.11.2023 को दोपहर 04.00 पी.एम पर फर्म कृष्णा मिष्ठान भण्डार, ईदगाह मोड़, गंगापुर सिटी संस्थान पर पहुंचा पर जो व्यक्ति उपस्थित मिला उसने स्वयं को विक्रेता एवं प्रोपराईटर बताया एवं अपना नाम कमलेश सैनी पुत्र श्री गोविन्द सैनी बताया एवं श्री कमलेश सैनी को मैनें अपना परिचय पत्र दिखाया एवं संस्थान का निरीक्षण करने हेतु कहां एवं संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु लगभग 10 किलो मिल्क केक (मिठा मावा) रखा हुआ था। उक्त मावा में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमुना जॉच 2 किलोग्राम मीठा मावा खरीदकर उनकी कीमत 280/– रुपये विक्रेता श्री कमलेश सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता से हस्ताक्षर करवायें तथा उपस्थित गवाहान श्री विजय कुमार मीना के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन वो साथ संलग्न है।आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम मीठा माया को साफ सूखे चार प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर मात्रा में भर कर फॉरमर्लिन की 40–40 बूंदे, डालकर ढक्कन लगाकर उनको एयर टाईट बन्द कर एवं लेबल तैयार कर [illegible] लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर [illegible] कोड [illegible] क्रमांक एच –3093 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के [illegible]क्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित [illegible]कारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा [illegible] नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:04 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इंस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप तथा रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म से. 5ए की प्रतियों एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता श्री कमलेश सैनी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति श्री कमलेश सैनी को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. ७ए एवं फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6. की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1127 दिनांक 07.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच, रिपोट सं. एलएस/4656/एक्ट/2023/4774 दिनांक 22.11.2023 के अनुसार खाद्य पदार्थ मीठा मावा **Substandard** एवं **Extraneous matter** प्रकृति का होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ मीठा मावा **Substandard** एवं **Extraneous matter** प्रकृति का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) 2(iv) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा **Substandard** एवं **Extraneous matter** मीठा मावा का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 2(iv) का उल्लघंन क्या है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की कमशः मशः धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested

अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबिदार एक छोटा [illegible]दार है जिसके पास खाद्य पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही आवेदक द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। आवेदक द्वारा [illegible] की अवहेलना की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

गयी है और गलत तरीके से उक्त नमूने की कार्यवाही की गई। अभियुक्त सं0 1 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ निर्माण नहीं किया जाता है।अभियुक्तगण द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का भविष्य में कभी भी विक्रय नहीं किया जावेगा, साथ ही अभियुक्त सं0 1 ने नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/4656/एक्ट/2023/4774 दिनांक 22.11.2023 निम्नानुसार है।

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, (RAJASTHAN), Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-VII A
Test Report of the Food Analyst
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

NABL TC 8986

Report No. L.S. /4656 / Act / 2023 / 4774 Date: 22-11-2023

Certified that I Shuchita Agrawal, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Virenderr Kumar Singh, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Meetha Mawa" bearing Code number and Serial number H-3093 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer of Sawai Madhopur area on 06-11-2023 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals were intact and unbroken, The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Meetha Mawa Sweets" falling under Regulation No. 2.12.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 14-11-2023 to 22-11-2023 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report :-
(1) Sample description : - Sample is in a sealed and intact wide mouth plastic bottle.
(2) Physical appearance : - Brown and Cream coloured soft solid material.

Sl. No	Quality Characteristics.	Nature of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder (b) As per label declaration for Proprietary food
1.	Test for added Starch.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.2 2016	Negative	Negative
2.	Test for added Sugar.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.1 2016	Positive.	Positive
3.	Test for added Urea.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.4 2016	Negative	Negative
4.	Test for Neutralizer	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 1.2.11 2016	Negative	Negative
5.	Test for Saccharin.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 3.2 2016	Negative	As per Regulation No.3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
6.	Added synthetic colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.9 2016	Absent	As per Regulation No. 3.1 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food additive) Regulations, 2011.
7.	B.R. Reading of extracted fat at 40.0° C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.3 2016	49.2	40.0 to 44.0 (Milk Fat)
8.	Reichert Value of extracted fat	FSSAI MANUAL OF METHODS OF MILK AND MILKPRODUCTS 2016 METHOD NO. 13.4 2016	6.11	Min. 24.0

The values obtained under parameter Butyro Refractometer reading at 40.0°C and Reichert value of extracted fat indicate that the Ghee/Milk Fat of the product has been partially substituted by foreign fat.

Opinion- The sample of "Meetha Mawa Sweets" bearing Code No. and Sr. No. H-3093 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-Standard as the extracted fat does not conform to the standards of ghee/milk fat as prescribed under Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1)(i) of Food Safety and Standard Act, 2006.

Signed this 22nd day of November 2023

SHUCHITA AGRAWAL
Food Analyst
(Authorized Signatory)

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested

मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ मीठा मावा **Substandard** एवं **Extraneous matter** प्रकृति का होना पाया गया है। तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु.नं0 15/24 (2024/29) सरकार बनाम कमलेश

अतः अभियुक्तगण को खाद्य पदार्थ मीठा मावा **Substandard** एवं **Extraneous matter** प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 के तहत अभियुक्त को जुर्माना राशि 25,000 रूपये (अक्षरे– पच्चीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.24 16:22:04 IST
Reason: SelfAttested